भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1082

उत्तर देने की तारीख : 08.02.2024

पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों का विकास

1082. श्री रमेश बिधूड़ी:

क्या *सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम* मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बुनकरों, सुनार, लोहारों, कपड़े धोने वाले कामकारों और नाइयों आदि सहित पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के विकास और संवर्धन के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुशल कामगारों के लाभार्थ हेतु कोई योजना शुरु की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) से (घ): सरकार ने पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों, जो अपने हाथों और औजारों से कार्य करते हैं, उन्हें शुरु से अंत तक सहायता प्रदान करने के लिए दिनांक 17.09.2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है। इस योजना में 18 व्यापारों अर्थात (i) **कारपेंटर (सुथार/बढ़ई)**; (ii) **नाव निर्माता**; (iii) **अस्त्रकार**; (iv) **ब्लैकस्मिथ (लौहार)**; (v) **हथौड़ा और टूलकिट निर्माता**; (vi) **ताला बनाने वाला**; (vii) **गोल्डस्मिथ (सुनार)**; (viii) **पॉटर (कुम्हार)**; (ix) **स्कल्पटर (मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला), पत्थर तोड़ने वाला**; (x) **मोची (चर्मकार) जूता बनाने वाला/फुटवियर कारीगर**; (xi) **मेसन (राजमिस्त्री)**; (xii) **टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाला/कॅयर कारीगर**; (xiii) **गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक)**; (xiv) **बार्बर (नाई)**; (xv) **गारलैंड मेकर (मालाकार)**; (xvi) **वॉशरमैन (धोबी)**; (xvii) **टेलर (दर्जी)**; **और** (xviii) **फिशिंग नेट निर्माता में कार्यरत कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है।**

योजना के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) **मान्यता: पीएम विश्वकर्मा प्रमाण-पत्र और पहचान-पत्र के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों को मान्यता प्रदान करना।**

(ii) **कौशल उन्नयन: 500 रुपए प्रति दिन के स्टाइपेंड के साथ 5-7 दिनों का आधारभूत प्रशिक्षण और 15 दिन या उससे अधिक दिनों का उन्नत प्रशिक्षण।**

(iii) **टूलकिट प्रोत्साहन: ई-वॉउचरों के माध्यम से 15,000 रुपए तक का टूलकिट प्रोत्साहन।**

(iv) **क्रेडिट सहायता: भारत सरकार की 8 प्रतिशत की सब्वेंशन की सीमा के साथ 5 प्रतिशत के रियायती ब्याज दरों पर क्रमश: 18 माह और 30 माह की अवधि के साथ 1 लाख और 2 लाख रुपए की 2 किश्तों में 3 लाख रुपए तक का कोलेट्रल मुक्त 'उद्यम विकास ऋण'। जिन लाभार्थियों ने आधारभूत प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है, वे 1 लाख रुपए तक की क्रेडिट सहायता की पहली किश्त प्राप्त करने के लिए पात्र होगें। ऋण की दूसरी किश्त उन लाभार्थियों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने पहली किश्त प्राप्त की है और एक मानक ऋण खाता रखते हैं तथा अपने व्यवसाय में डिजिटल लेन-देन को अपनाते हैं अथवा उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।**

(v) **डिजिटल लेन-देन के लिए प्रोत्साहन: डिजिटल भुगतान अथवा प्राप्तियों के लिए लाभार्थियों को एक मास में अधिकतम 100 पात्र लेन-देन के लिए प्रति पात्र डिजिटल लेन-देन पर एक रुपए प्रदान किए जाएगें।**

(vi) **विपणन सहायता : गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग, जेम जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर शामिल होना, विज्ञापन और मूल्य श्रृंखला को बढ़ाने वाली अन्य विपणन गतिविधियों के रूप में विपणन सहायता।**

******